

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.11(2)नविवि/पाली/2015


जयपुर, दिनांक :- 13/01/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 के द्वारा यथा अधिसूचित पाली के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान 2035 का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, पाली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


13/1/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, पाली।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, पाली।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

11
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय